संख्या-33/2025/001-58-24-1-2025-16-2025

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

उर्जा अनुभाग – 1 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-।। के पारेषण कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि की समायोजन के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-09/एफ0एम0/निधि-।/ट्रांसको/बजट/422/2023/2024-25, दिनांक 10 जनवरी, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-।। के पारेषण कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि 565,56,00,000/- (रूपये पॉच सौ पैंसठ करोड़ छप्पन लाख मात्र) में से व्यय की गयी धनराशि रूपये 171,28,65,000/- (रूपये एक सौ इकहत्तर करोड़ अठ्ठाइस लाख पैंसठ हजार मात्र) समायोजन के माध्यम से अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण पुस्तक समायोजन के द्वारा किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,71,28,65,000 (रुपये एक अरब इकहत्तर करोड़ अट्ठाईस लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051902000 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता के सापेक्ष उ.प्र. पावर टॉसमिशन कार्पोरेशन को अंशपूंजी मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-134-X-2024-25-दिनांक : 27-3-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-33 /2025/001-58(1)-24-1-2025-16-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।